


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 437]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2015/आषाढ़ 16, 1937

No. 437]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2015 /ASHADHA 16, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2015

सा. का. नि. 544(अ).—केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 73 की उपधारा (2) के खंड (झ), (ञ), (जज), (जजज) और (ट) के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 में,—

(क) नियम 2 में, उपनियम (1) में,—

(1) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

‘(कक) “केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री” से कोई रिपोर्टिंग सत्ता अभिप्रेत है, जो सारतः केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है और जिसको उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से खंड (जक) में यथानिर्दिष्ट किसी ग्राहक का केवाईसी अभिलेख डिजिटल रूप में, ऐसी रीति में प्राप्त करने, भंडारित करने,

सुरक्षित रखने और पुनःप्राप्त करने के लिए तथा ऐसे अन्य कृत्यों, जो इन नियमों के अधीन अपेक्षित हैं, का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;';

(II) खंड (खक) में, स्पष्टीकरण में "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1)" शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(III) खंड (गक) में "कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25" शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर "कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18)" की धारा 8 शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(IV) खंड (गक), खंड (गघ) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (गघ) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्—

(गक) "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) पहचानकर्ता" से किसी ग्राहक को केंद्रीय केवाई सी अभिलेख रजिस्ट्री द्वारा समनुदेशित विशिष्ट संख्या या कोड अभिप्रेत है;

(गख) "अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) अभिलेख" से ऐसा अभिलेख अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं, जिन पर कोई रिपोर्टिंग सत्ता इन नियमों के नियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट ग्राहक सम्यक तत्परता का पालन करने में विश्वास करती हैं;

(गग) "अंतिम केवाईसी सत्यापन या अद्यतन" से केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री में किसी रिपोर्टिंग सत्ता द्वारा किया गया अंतिम संव्यवहार अभिप्रेत है, जिसके द्वारा किसी ग्राहक केवाईसी अभिलेख किसी रिपोर्टिंग सत्ता द्वारा अभिलिखित, परिवर्तित या अद्यतन किए जाते हैं ;';

(V) खंड (घ) में, "भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण" शब्दों के पश्चात् "या राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 9 में,—

(I) उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् —

"(1क) उपनियम (1) के उपबंधों के अध्याधीन, प्रत्येक रिपोर्टिंग सत्ता किसी ग्राहक के साथ लेखा आधारित संबंध के प्रारंभ होने के पश्चात् तीन दिन के भीतर ग्राहक के केवाईसी अभिलेख की इलैक्ट्रॉनिक प्रति केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री के पास फाइल करेगी ;

(1ख) केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री किसी रिपोर्टिंग सत्ता से प्राप्त केवाईसी अभिलेख का अनुलिपि हटाने के लिए प्रसंस्करण करेगी और प्रत्येक ग्राहक के लिए रिपोर्टिंग सत्ता को केवाईसी पहचानकर्ता जारी करेगी, जो केवाईसी पहचानकर्ता अपने ग्राहक को संसूचित करेगी;"

(1ग) जहां कोई ग्राहक खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए केवाईसी पहचानकर्ता रिपोर्टिंग सत्ता को प्रस्तुत करता है, वहां ऐसी रिपोर्टिंग सत्ता केवाईसी पहचानकर्ता का उपयोग करते हुए केवाईसी अभिलेख केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री से ऑनलाइन पुनःप्राप्त करेगी और ग्राहक से वहीं केवाईसी अभिलेख या सूचना या कोई अन्य अतिरिक्त पहचान दस्तावेज या ब्यौरे तब तक प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगी, जब तक—

(ii) केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री के यथाविद्यमान अभिलेख में ग्राहक की सूचना में कोई परिवर्तन न हो;

- (ii) ग्राहक का वर्तमान पता सत्यापित करना अपेक्षित न हो;
- (iii) रिपोर्टिंग सत्ता ग्राहक की पहचान या पता सत्यापित करना या बढ़ाई गई सम्यक तत्परता का पालन करना या ग्राहक की समुचित जोखिम रूपरेखा तैयार करना आवश्यक न समझे।

(1घ) रिपोर्टिंग सत्ता उपनियम (1ग) के अधीन ग्राहक से अतिरिक्त या अद्यतन सूचना अभिप्राप्त करने के पश्चात् अद्यतन सूचना यथाशीघ्र केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री को देगी, जो ग्राहक के विद्यमान केवाईसी अभिलेख को अद्यतन करेगी तथा केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री तत्पश्चात् सभी रिपोर्टिंग सत्ताओं को, जिन्होंने उक्त ग्राहक के केवाईसी अभिलेख के अद्यतन के संबंध में संबंधित ग्राहक के साथ व्यवहार किया है।

(1ङ) रिपोर्टिंग सत्ता जिसने अंतिम केवाईसी सत्यापन का पालन किया है या ग्राहक के संबंध में अद्यतन सूचना भेजी है, ग्राहक की पहचान या पते की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए उत्तरदायी होगी।

(1च) रिपोर्टिंग सत्ता, केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री से अभिप्राप्त ग्राहक के केवाईसी अभिलेख का उपयोग ग्राहक की पहचान या पते का सत्यापन करने अन्यथा प्रयोजनों के लिए नहीं करेगी और केवाईसी अभिलेख या उसमें अंतर्विष्ट कोई सूचना किसी तृतीय पक्षकार को तब तक अंतरित नहीं करेगी, जब तक ऐसा करने के लिए ग्राहक द्वारा या विनियामक द्वारा या निदेशक द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो;

(1छ) विनियामक यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा कि केंद्रीय केवाईसी अभिलेख उसी समय रिपोर्टिंग सत्ता की पहुंच में हो।”।

(II) उपनियम (2) में, खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्—

‘(क) रिपोर्टिंग सत्ता, दो दिन के भीतर तृतीय पक्षकार से या केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री से तृतीय पक्षकार द्वारा की गई ग्राहक सम्यक तत्परता के अभिलेख या सूचना अभिप्राप्त करता है।

(ख) नियम 9 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“9क. केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री के कृत्य और बाध्यताएं—(1) केंद्रीय सरकार, धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2015 के प्रवृत्त होने से तीस दिन की अवधि के भीतर इन नियमों के अनुसार रिपोर्टिंग सत्ताओं द्वारा अपने ग्राहकों के अभिप्राप्त केवाईसी अभिलेख की इलैक्ट्रॉनिक प्रतियां प्राप्त करने, भंडारित करने, सुरक्षित रखने और पुनःप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री स्थापित करेगी, जिसकी अपनी मुद्रा होगी।

(2) केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री निम्नलिखित कृत्यों और बाध्यताओं का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) खंड (छ) में निर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों से संगत, विनियामक द्वारा जारी प्रचालन अनुदेशों का अनुसरण करेगी और इन नियमों की अपेक्षाओं को कार्यान्वित करने के लिए उनको जारी करेगी;

(ख) केवाईसी अभिलेख भंडारित करने, सुरक्षित रखने और पुनःप्राप्त करने के लिए और ऐसे अभिलेख को रिपोर्टिंग सत्ता या निदेशक को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगी;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक पूर्वावधानियां अपनाएगी कि केवाईसी अभिलेख की इलैक्ट्रॉनिक प्रतियां खो न जाएं, विनष्ट न हो जाएं या उनके साथ कोई छेड़छाड़ न की जाए तथा किसी आनुकल्पिक सुरक्षित और संरक्षित स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख का पर्याप्त बैक-अप हर समय उपलब्ध रहे;

(घ) अपने नियंत्रण, पद्धतियों, प्रक्रियाओं और रक्षोपायों की वार्षिक संपरीक्षा करवाएगी और कमियों, यदि कोई हो, के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करेगी;

(ङ) विनियामक द्वारा यथाविनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर केवल उन रिपोर्टिंग सत्ताओं को सूचना प्रदान करेगी, जो इसके पास रजिस्ट्रीकृत है;

(च) अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो अधिनियम, तद्धीन बनाए गए नियमों तथा जारी की गई अधिसूचनाओं और केंद्र सरकार एवं विनियामक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों और अनुदेशों की भी अनुपालना की मानिटरी के लिए तथा ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए उत्तरदायी होगा; अनुपालन अधिकारी उसके द्वारा संप्रेक्षण किए गए किसी अननुपालन को तत्काल और स्वतंत्र रूप से केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट करेगा;

(छ) विनियामक, केंद्रीय सरकार और केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री के परामर्श से रिपोर्टिंग सत्ताओं द्वारा केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री के पास केवाईसी अभिलेख फाइल करने के लिए उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक किसी अन्य विषय के संबंध में अनुसरण किए जाने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगा;

(ज) केंद्रीय सरकार, विनियामक के परामर्श से लोक हित में और विनियमित सत्ताओं के हित में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि नियम 9 या नियम 9क का कोई उपबंध,—

(i) विनियमित सत्ताओं के किसी वर्ग या वर्गों को लागू नहीं होगा, या

(ii) विनियमित सत्ताओं के किसी वर्ग या वर्गों को ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलन के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो।”;

(घ) नियम 10 में,—

(I) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(1) प्रत्येक रिपोर्टिंग सत्ता नियम 9 के अनुसार अभिप्राप्त अपने ग्राहकों की पहचान के अभिलेख की मूर्त (फिजिकल) प्रति, केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री के पास ऐसे अभिलेख की इलैक्ट्रॉनिक प्रति फाइल करने के पश्चात् अनुरक्षित करेगा।”;

(II) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) ग्राहकों की पहचान के अभिलेख रिपोर्टिंग सत्ता द्वारा ऐसी रीति में अनुरक्षित किए जाएंगे, जो विनियामक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।”।

[अधिसूचना सं. 4/2015/पी-12011/5/2011/एस.ओ. (ई.एस. सैल)]

बिप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पणः—मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्या 444(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 717(अ), तारीख 13/12/2005, सा.का.नि. 389(अ), तारीख 24/5/2007, सा.का.नि. 816(अ), तारीख 12/11/2009, सा.का.नि. 76(अ), तारीख 12/2/2010, सा.का.नि. 508(अ), तारीख 16/6/2010, सा.का.नि. 980(अ), तारीख 16/12/2010, सा.का.नि. 481(अ), तारीख 24/6/2011, सा.का.नि. 576(अ), तारीख 27/8/2013 और सा.का.नि. 288 (अ), तारीख 15/4/2015 को संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2015

G.S.R. 544(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (i), (j), (jj), (jjj) and (k) of sub-section (2) of section 73 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government in consultation with the Reserve Bank of India hereby makes the following rules further to amend the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, namely:—

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005, —

(a) in rule 2, in sub-rule (1),—

(I) after clause(a), the following clause shall be inserted, namely :—

‘(aa) “Central KYC Records Registry” means a reporting entity, substantially owned and controlled by the Central Government, and authorised by that Government through a notification in the Official Gazette to receive, store, safeguard and retrieve the KYC records in digital form of a client as referred to in clause (ha) in such manner and to perform such other functions as may be required under these rules;’

(II) in clause (ba), in the Explanation for the words, figures and brackets “Companies Act, 1956 (1 of 1956)”, the words, figures and brackets “Companies Act, 2013 (18 of 2013)” shall be substituted;

(III) in clause (ca), for the words, figures and brackets “section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956)”, the words, figures and brackets “section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013)” shall be substituted;

(IV) clause (ca) shall be renumbered as clause (cd) and before clause (cd) as so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely :—

‘(ca) “Know Your Client (KYC) Identifier” means the unique number or code assigned to a client by the Central KYC Records Registry;

(cb) “Know Your Client (KYC) records” means the records, including the electronic records, relied upon by a reporting entity in carrying out client due diligence as referred to in rule 9 of these rules;

(cc) “last KYC verification or update” means the last transaction made by a reporting entity in the Central KYC Records Registry by which the KYC records of a client were recorded, changed or updated by a reporting entity;’

(V) in clause (d), after the words “Unique Identification Authority of India”, the words “or the National Population Register” shall be inserted;

(b) in rule 9, —

(I) after sub-rule (1), the following sub-rules shall be inserted, namely :—

“(1A) Subject to the provisions of sub-rule (1), every reporting entity shall within three days after the commencement of an account-based relationship with a client, file the electronic copy of the client’s KYC records with the Central KYC Records Registry;

(1B) The Central KYC Records Registry shall process the KYC records received from a reporting entity for de-duplicating and issue a KYC Identifier for each client to the reporting entity, which shall communicate the KYC Identifier in writing to their client;

(1C) Where a client, for the purposes of clause (a) and clause (b), submits a KYC Identifier to a reporting entity, then such reporting entity shall retrieve the KYC records online from the Central KYC Records Registry by using the KYC Identifier and shall not require a client to submit the same KYC records or information or any other additional identification documents or details, unless –

- (i) there is a change in the information of the client as existing in the records of Central KYC Records Registry;
- (ii) the current address of the client is required to be verified;
- (iii) the reporting entity considers it necessary in order to verify the identity or address of the client, or to perform enhanced due diligence or to build an appropriate risk profile of the client.

(1D) A reporting entity after obtaining additional or updated information from a client under sub-rule (1C), shall as soon as possible furnish the updated information to the Central KYC Records Registry which shall update the existing KYC records of the client and the Central KYC Records Registry shall thereafter inform electronically all reporting entities who have dealt with the concerned client regarding updation of KYC record of the said client.

(1E) The reporting entity which performed the last KYC verification or sent updated information in respect of a client shall be responsible for verifying the authenticity of the identity or address of the client.

(1F) A reporting entity shall not use the KYC records of a client obtained from the Central KYC Records Registry for purposes other than verifying the identity or address of the client and shall not transfer KYC records or any information contained therein to any third party unless authorised to do so by the client or by the Regulator or by the Director;

(1G) The regulator shall issue guidelines to ensure that the Central KYC records are accessible to the reporting entities in real time.”.

(II) in sub-rule (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely: —

‘(a) the reporting entity, within two days, obtains from the third party or from the Central KYC Records Registry records or the information of the client due diligence carried out by the third party.

(c) after rule 9, the following rule shall be inserted, namely:—

“9A. Functions and obligations of the Central KYC Records Registry.- (1) The Central Government shall within a period of thirty days from the date of coming into force of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2015 set-up a Central KYC Records Registry having its own seal for the purpose of receiving, storing, safeguarding and retrieving electronic copies of KYC records obtained by the reporting entities from their clients in accordance with these rules.

(2) The Central KYC Registry shall perform the following functions and obligations, namely: —

- (a) shall follow any operating instructions issued by the Regulator, consistent with the guidelines referred to in clause (g) and issue the same to implement the requirements of these rules;
- (b) shall be responsible for storing, safeguarding and retrieving the KYC records and making such records available online to reporting entities or Director;
- (c) shall take all precautions necessary to ensure that the electronic copies of KYC records are not lost, destroyed or tampered with and that sufficient back up of electronic records are available at all times at an alternative safe and secure place;
- (d) shall cause an annual audit of its controls, systems, procedures and safeguards and shall undertake corrective actions for deficiencies, if any;
- (e) shall provide information only to the reporting entities which are registered with it on payment of fees as specified by the Regulator;

(f) shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the Act, the rules made and the notifications issued thereunder and also the guidelines and instructions issued by the Central Government and the Regulator and for redressal of client's grievances; the compliance officer shall immediately and independently report to the Central Government any non-compliance observed by him;

(g) the Regulator in consultation with the Central Government and the Central KYC Records Registry may issue guidelines to be followed by the reporting entities for filing the KYC records with the Central KYC Records Registry or any other matter in connection with or incidental thereto;

(h) the Central Government, in consultation with Regulator, may by notification in the public interest and in the interest of the regulated entities, direct that any of the provisions of rule 9 or rule 9A,—

(i) shall not apply to a class or classes of regulated entities; or

(ii) shall apply to the class or classes of regulated entities with such exceptions, modifications and adaptations as may be specified in the notification.”;

(d) in rule 10, —

(I) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) Every reporting entity shall maintain the physical copy of records of the identity of its clients obtained in accordance with rule 9, after filing the electronic copy of such records with the Central KYC Records Registry.”;

(II) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The records of the identity of clients shall be maintained by a reporting entity in the manner as may be specified by the Regulator from time to time.”.

[Notification No. 4 / 2015/P.12011/5/2011-SO(ES Cell)]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note :—The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 444 (E), dated the 1st July, 2005 and subsequently amended vide number G.S.R. 717 (E), dated the 13th December, 2005, number G.S.R. 389 (E), dated the 24th May, 2007, number G.S.R.816 (E), dated the 12th November, 2009, number G.S.R. 76 (E), dated the 12th February, 2010, number G.S.R. 508 (E), dated the 16th June, 2010, number G.S.R. 980 (E), dated the 16th December, 2010, number G.S.R. 481 (E), dated the 24th June, 2011, number G.S.R. 576 (E), dated the 27th August, 2013 and number G.S.R. 288 (E), dated the 15th April, 2015.